संख्या-04/2021/320/86-2021-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 12 फरवरी, 2021

विषय-ईट-भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) ऑनलाइन माध्यम से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1882(1)/86-2020, दिनांक 26. 10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ईट भट्ठा सत्र 2020-21 (01.10.2020 से 30.09.2021) हेतु विभिन्न श्रेणियों के जनपदों के लिए पायेवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे के लिए विनियमन शुल्क (Regulating Fees) का निर्धारण कर, धनराशि जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों से विनियमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in विकसित किया गया है। उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी होगी:-

1. जनपद के खान अधिकारी संचालित ईंट-भट्ठों के स्वामियों का पंजीकरण हेतु यूनिक कोड (पहचान पत्र का क्रमांक), ईंट भट्ठे का नाम, भट्ठा स्वामी का नाम, ईंट भट्ठे के स्वामी का पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0, राष्ट्रीयता, ईंट भट्ठे की तहसील, गॉव, गाटा संख्या, पायों की संख्या, ईंट भट्ठे का प्रकार (साधारण या जिग-जैग) भरने के उपरान्त लागिन आई0डी0 जनित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जनपद के खान अधिकारी द्वारा जनित लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड ईंट भट्ठा स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 द्वारा उपलब्ध हो जायेगा।

3. ईंट-भट्ठा स्वामी को विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर Brick kiln owner लॉगिन में जाकर ओ0टी0पी0 द्वारा प्राप्त पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना होगा।

4. ईंट-भट्ठा स्वामी को लॉगिन करने के उपरान्त Edit brck kiln के विकल्प पर जाकर सम्बन्धित प्रविष्टियॉ यथा जिला पंचायत में ईंट-भट्ठे की पंजीयन संख्या एवं दिनॉक, जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा तथा ईंट मिट्टी के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली ईंट मिट्टी व पलोथन की निकासी के क्षेत्र यथा तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल (हे0) विवरण अंकित करना होगा। तदोपरान्त आवेदन शुल्क, विनियमन शुल्क, पलोथन की धनराशि, देय धनराशि यदि कोई हो, की स्वगणित धनराशि पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, जिसे Submit करने के उपरान्त ऑनलाइन भुगतान राजकोष पोर्टल पर खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर ईंट-भट्ठों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने तथा भट्ठे से सम्बन्धित शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः 320(1)/86-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ को उनके पंत्राक-2158/एम0ईंट-भट्ठा/2020-21, दिनांक 10.02.2021 के सन्दर्भ में।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।